



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(सम्पदा प्रकोष्ठ)

क्रमांक : प-2/वमखुवि/स.प्र./15/65

दिनांक : 23/01/2015

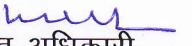
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में प्रचलित आवासीय भवन आवंटन नियम संख्या 22 (कार्मिक की मृत्यु होने पर) एवं नियम संख्या 23 (कार्मिक द्वारा इस्तीफा दिये जाने, सेवानिवृत्ति व निलम्बन होने पर) एवं स्थानान्तरण होने पर नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण कार्मिकों के स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति व मृत्यु होने पर आवंटित आवास को रिक्त करने के सम्बंध में नियम संख्या 31 को वित्त समिति की 53 वीं बैठक की कार्यसूची के बिन्दु संख्या 53/7(4) एवं प्रबन्ध मण्डल की 90 वीं बैठक के बिन्दु सं० 4 दिनांक 20/01/2015 द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.17(2)/सा.प्र./2/2002 जयपुर दिनांक 30/9/2002 को अनुमोदित करते हुए निम्नानुसार संशोधित किये जाते हैं-

क्र.सं.	समय अवधि	किराये की लगने वाली दर	विशेष विवरण
1	2	3	4
(क)	स्थानान्तरण होने की स्थिति में		
1	स्थानान्तरण पर कार्यमुक्ति की दिनांक से एक माह तक	साधारण दर	-----
2	अगले एक माह तक (अर्थात् दूसरा माह)	साधारण दर का दुगुना	माननीय कुलपति की पूर्वानुमति प्राप्त होने पर
3	तीसरे माह से छठे माह तक	साधारण दर का तिगुना	उपरोक्तानुसार
4	6 माह अवधि पूर्ण होने से अगले 6 माह तक	बाजार दर (सा.नि.वि. द्वारा निर्धारित)	उपरोक्तानुसार
5	तदुपरान्त	बेदखली की कार्यवाही होगी	
(ख)	सेवा निवृत्ति होने की स्थिति में		
1	सेवा निवृत्ति दिनांक से 2 माह तक	साधारण दर	-----
2	2 माह उपरान्त अगले 2 माह तक	बाजार दर (सा.नि.वि. द्वारा निर्धारित)	माननीय कुलपति की पूर्वानुमति प्राप्त होने पर
3	तदुपरान्त	बेदखली की कार्यवाही होगी	
(ग)	मृत्यु होने की स्थिति में		
1	मृत्यु की दिनांक से 2 माह तक (आश्रित को)	साधारण दर	-----
2	तीसरे माह से छठे माह तक	साधारण दर का तिगुना	माननीय कुलपति की पूर्वानुमति प्राप्त होने पर
3	6 माह अवधि पूर्ण होने से अगले 6 माह तक	बाजार दर (सा.नि.वि. द्वारा निर्धारित)	उपरोक्तानुसार
4	तदुपरान्त	बेदखली की कार्यवाही होगी	

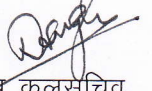
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में अंकित निर्धारित किराया दरें साधारण दर, दुगुनी, तिगुनी से तात्पर्य इस विभाग के आदेश संख्या एफ2/वीएमओयू/जीएडी/08/2000 दिनांक 21.10.2008 के अनुसार दरें होंगी तथा बाजार दर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित के अनुरूप होगी।


वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है -

1. माननीय कुलपति महोदय, व.म.खु.वि., कोटा।
2. समस्त इकाई प्रभारी, व.म.खु.वि., कोटा को भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ समस्त कार्मिकों को अवगत करावें।


उप कुलसचिव
सम्पदा प्रकोष्ठ